भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3170

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मासिक धर्म स्वास्थ्य को बढ़ावा देना

3170. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में मासिक धर्म स्वास्थ्य और शिक्षा समानता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में, विशेष रूप से कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों के लिए, मुफ्त सैनिटरी पैड के प्रावधान को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण से संबंधित नीतियों को अंतिम रूप देने और लागू करने से पहले सटीक डेटा संग्रह और जमीनी हकीकत का आकलन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि यह नीति स्कूलों में, विशेष रूप से दमोह, मध्य प्रदेश जैसे जिलों में हाउसकीपिंग और स्टाफ की उपलब्धता जैसी आवश्यक सहायता प्रणालियों के प्रावधान को शामिल करने में विफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी माध्यमिक विद्यालयों, जहां पहुंच की कमी से 12 से 15 वर्ष की आयु की बालिकाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं, में सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का व्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आंकड़ों में विसंगतियों, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के संबंध में बढ़ी हुई प्रतिशतताओं, जिनका देश में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता संबंधी नीति तैयार करने के लिए उपयोग किया गया था, को किस प्रकार दूर किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ) मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन योजना 10-19 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म की स्वच्छता, किशोरियों द्वारा सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच और उनके उपयोग तथा पर्यावरण अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान के बारे में किशोरियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की गई है। यह योजना किशोरियों को शामिल करने के लिए पूरे देश में कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2015-16

से, मासिक धर्म स्वच्छता योजना को मासिक धर्म स्वच्छता आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समर्थित किया जाता है।

स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति लड़कियों के लिए सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सुरक्षित और कम लागत वाले मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की उपलब्धता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करती है। यह नीति पूरे देश और केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों/विभागों में लागू है।

स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति में शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/निकाय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालयों एवं सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद दी गई सूचना शामिल हैं। यह मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौजूदा योजनाओं के साथ तालमेल बिठाता है।

इस नीति में स्वच्छ, लिंग-पृथक शौचालयों तक पहुंच तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पर्याप्त वॉशिंग और निपटान संबंधी सुविधाओं के पहलुओं को यह सुनिश्चित करते हुए शामिल किया गया है कि लड़कियां अपने मासिक धर्म को सुरक्षित, स्वच्छता और गरिमा के साथ प्रबंधित कर सकती हैं।

राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति में संदर्भित डेटा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस 5) से लिया गया है, जो विभिन्न स्वच्छता अभ्यासों के उपयोग का व्यापक विवरण देने के लिए एक विश्वसनीय और मान्य डेटासेट है।

****